Publication: The Economic Times-Hindi

Headline: Removal of duty on Gold Bar would increase the capacity of Refineries

Edition: All India

Date: 14th March, 2011

Coverage –

गोल्ड बार पर ड्यूटी हटने से बढ़ेगी रिफाइनरियों की क्षमता

सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडीशनल ड्यूटी हटाने का फैसला किया है

सुतानुका घोषाल
कोलकाता

केंद्र सरकार के अर्ध शुद्ध गोल्ड बार (सेमी-प्योरीफाइड गोल्ड बार) से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और स्पेशल एडीशनल ड्यूटी हटाने से घरेलू गोल्ड रिफाइनरों की ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। सरकार ने 80 फीसदी तक शुद्धता वाले गोल्ड की देश में रिफाइनिंग करने पर कस्टम ड्यूटी हटा लिया है। साथ ही क्रमवार संख्या वाले गोल्ड बार की मैन्युफैक्चरिंग पर उत्पाद शुल्क में कटौती भी की है। इससे इन रिफाइनरों की ऑपरेटिंग कैपेसिटी में इजाफा होगा। देश में इस वक्त करीब 25 रिफाइनर हैं और इनमें से ज्यादातर अपनी इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी के 25 से 30 फीसदी पर काम कर रहे हैं। पिछले साल इसी दौरान ये रिफाइनर अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 35-40 फीसदी के बीच पर काम कर रहे थे। ऑपरेटिंग कैपेसिटी में कमी आने की एक बड़ी वजह स्क्रैप गोल्ड की सप्लाई में कमी आना रहा है।

एनआईबीएल बुलियन के प्रबंध निदेशक हरमेश अरोड़ा के मुताबिक, 'अर्ध शुद्ध गोल्ड बार की कमी का जिक्र बजट में किया गया है। ये बार अमूमन ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की सोने की खदानों से निकलते हैं। हमने इस मैटेरियल के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंटों से बातचीत शुरू कर दी है।' ज्वैलरी इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, गोल्ड ओर को खनन के जरिए निकालने के बाद पहले चरण की प्योरीफिकेशन प्रक्रिया में तैयार होने वाले बार अर्ध शुद्ध गोल्ड बार कहलाते हैं और यह कुल निकले हुए गोल्ड का 90 फीसदी हिस्सा होता है। बाकी बचा हुआ 10 फीसदी हिस्सा ऐसे गोल्ड का होता है जिसमें ज्यादातर सिल्वर और कॉपर मिले होते हैं। अरोड़ा के मुताबिक, 'अमूमन बाजार में मौजूद अर्ध शुद्ध गोल्ड बार 90 फीसदी गोल्ड वाला होता है। ऐसे में हमें वित्त मंत्री की तय की गई 80 फीसदी शुद्धता वाले गोल्ड बार के लिए वास्तव में अच्छी-खासी मशक्कत करनी पड़ेगी।' अरोड़ा मुंबई में गोल्ड रिफाइनरी चलाते हैं।

80 फीसदी शुद्धता वाले गोल्ड से आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाने के अलावा वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने क्रमवार संख्या पड़े हुए गोल्ड बार (तोला बार को छोड़कर) पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को भी 80 रुपए प्रति 10 ग्राम से 200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कर दिया है। 200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रियायती एक्साइज ड्यूटी को अर्ध शुद्ध गोल्ड बार को रिफाइन करके बनाए जाने वाले क्रमवार संख्या वाले गोल्ड बार पर भी बढ़ाया जा रहा है। रिद्धि-सिद्धि बुलियन के डायरेक्टर पृथ्वीराज कोठारी के मुताबिक, 'इस्तेमालशुदा गोल्ड की बिक्री में पिछले एक साल से लगातार गिरावट आ रही है। क्योंकि ग्राहक कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद में अपने पास मौजूद गहनों की बिक्री नहीं कर रहे हैं। साल 2010 में रीसाइकिल्ड गोल्ड की कुल सप्लाई 89 टन थी, जबकि साल 2009 में इसकी सप्लाई 122 टन रही थी। इस वक्त रिफाइनर केवल घरेलू जरियों से मिलने वाले यूज्ड गोल्ड के सहारे टिके हुए हैं। रिफाइनर इसी तरह के गहनों को गलाकर सिक्कों और बार में बदल रहे हैं।'

कोठारी के मुताबिक, वित्त मंत्री के एलान से भारत में रिफाइनिंग इंडस्ट्री में सुधार आएगा। जेम्स एंड ज्वैलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन (पूर्वी इलाके) पंकज पारेख के मुताबिक, 'इससे घरेलू इंडस्ट्री सुधरेगी जो कि इस वक्त बुरी स्थिति में है। इससे स्थानीय बाजार में नौकरियां भी बढ़ेंगी। पिछले कुछ सालों में ज्यादातर रिफाइनरों की हालत खराब हुई है।'

केंद्र का सुनहरा तोहफा

- सरकार ने 80 फीसदी तक शुद्धता वाले गोल्ड की देश में रिफाइनिंग करने पर कस्टम ड्यूटी हटा लिया है। क्रमवार संख्या वाले गोल्ड बार की मैन्युफैक्चरिंग पर उत्पाद शुल्क में कटौती भी की है, इससे रिफाइनरों की ऑपरेटिंग कैपेसिटी में इजाफा होगा
- देश में इस वक्त करीब 25 रिफाइनर हैं और इनमें से ज्यादातर अपनी इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी के 25 से 30 फीसदी पर काम कर रहे हैं। पिछले साल ये अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 35-40 फीसदी के बीच पर काम कर रहे थे
- गोल्ड ओर को खनन के जरिए निकालने के बाद पहले चरण की प्योरीफिकेशन प्रक्रिया में तैयार होने वाले बार अर्ध शुद्ध गोल्ड बार कहलाते हैं और यह कुल निकले हुए गोल्ड का 90 फीसदी हिस्सा होता है